राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः–प 8(9) नविवि/राआम/2020 जयपुर, दिनांकः 10 MAY 2022

आदेश

लीज राशि की गणना में एकरूपता लाने के उद्देश्य से इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनाक 30.01.2013 एवं 28.05.2020 द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्राधिकरणों एवं न्यासों की भांति ही आवासीय एवं संस्थानिक आवंटनों में आवासीय दर पर 2.5 प्रतिशत की दर से तथा वाणिज्यिक आवंटनों में आवासीय दर पर 5 प्रतिशत की दर से लीज राशि की गणना किये जाने के आदेश जारी किये गये थे।

नगरीय भूमि निस्तारण नियम, 1974 के नियम 7(2) के अनुसार लीज राशि प्रत्येक 15 वर्ष बाद या प्रत्येक विक्रय पर 25 प्रतिशत वृद्वि के साथ पुनरीक्षण (Revision) किये जाने के तथा नियम 7(3) के अनुसार लीज राशि कब्जा देने की दिनांक से देय है तथा लीज राशि 8 वर्ष की एक मुश्त जमा कराने पर आवंटी या उसके Tranfree को प्रत्येक वार्षिक लीज राशि से मुक्त किये जाने का प्रावधान है। 10 वर्ष की एकमुश्त लीज जमा कराने पर फ्री–होल्ड पट्टा दिये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधानों के अनुसार अभियान अवधि में भूखण्डों के आवंटन के समय की आवासीय आरक्षित दर से गणना कर बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज व पेनल्टी में शत प्रतिशत की छूट है तथा अग्रिम (8/10 वर्ष) एक मुश्त लीज राशि जमा करायी जाती है, तो बकाया राशि पर 60 प्रतिशत की छूट देय है।

अतः उक्तानुसार कार्यवाही की जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. आयुक्त/सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांकः– एफ2(3)लागत/1042/190 दिनांक : 6/6/2022

–: कार्यालय आदेश :–

राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.8(9)नविवि/राआम/2020 जयपुर दिनांक 10.05.2022 में दिये गये निर्देशों की अभियान अवधि के लिए अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें।

उक्त आदेश को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

उप वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/वित्तीय सलाहकार, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
2– मुख्य अभियन्ता-I/II/मु0)/सचिव, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
3– अति॰मु॰अभियन्ता, ..., रा॰आ॰म॰, जयपुर/जोधपुर।
4– उप आवासन आयुक्त, वृत्त– ....., रा॰आ॰म॰, ...।
5– संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्ड़ल, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को मण्ड़ल की वेबसाइट पर अपलोड़ व सभी को मेल करें।
6– लेखाधिकारी, मुख्य राजस्व प्रकोष्ठ (मु0), राजस्थान आवासन मण्ड़ल, जयपुर।
7– आवासीय अभियन्ता, खण्ड़– ....., रा॰आ॰म॰, ...।
8– सहायक लेखाधिकारी–प्रथम, वृत्त– ....., रा॰आ॰म॰, ...।
9– सम्बन्धित पत्रावली।
10– रक्षित पत्रावली।

उप वित्तीय सलाहकार